रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1979] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2014/आश्विन 3, 1936
No. 1979] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2014/ASAVINA 3, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2014

का.आ. 2508 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3468 (अ), तारीख 22 नवम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125, जिसे नया नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 दिया गया है (मलौत–पिथौरागढ़), के 38.000 कि.मी. से 52.150 कि.मी. (सितारगंज–टनकपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 5 दिसम्बर, 2013 को ''अमर उजाला'' और ''टाइम्स ऑफ इण्डिया'' दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 (सितारगंज–टनकपुर सेक्शन) (जिसे नया नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 दिया गया है) के 38.000 कि.मी. से 52.150 कि.मी. तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1	चम्पावत	पूर्णागिरी / टनकपुर	(1) पचपकरिया	48	निजी	कृषि	0.0740	दी गुड शैर्फड एग्रीकल्चरल मिशन बमनपुरी, डान सिंह, दिवान सिंह, भगवान सिंह पुत्र पिरोज सिंह आदि
				योग			**0.0740**	
			(2) बमनपुरी	52	निजी	कृषि	0.1214	दी गुड शैर्फड एग्रीकल्चरल मिशन बमनपुरी आदि
				योग			**0.1214**	
			(3) भजनपुर	103	निजी	कृषि	0.0765	हकीम सिंह पुत्र हरि सिंह, रूप देवी पत्नि महावीर प्रसाद, त्रिलोक चन्द पुत्र प्रताप चन्द, बसंती देवी पत्नि गणेश चन्द, कीर्ति देवी पत्नि जगदीश कुमार, कल्याण चन्द पुत्र दलीप चन्द, हरिश चन्द, सारोडी पुत्र कल्यान चन्द, देवेन्द्र पटनी, दिपेन्द्र पटनी पुत्र देव सिंह पटनी, राधा देवी पत्नि भोपाल सिंह, बहादुर सिंह पटनी पुत्र खीम सिंह, संजय छतवाल पु.त्र अमरजीत सिंह छतवाल, शुशीराम मित्तल पुत्र बनवारीलाल, रेनू छतवाल पत्नि संजय सिंह छतवाल, रेखा श्रीवास्तव पत्नि अलोक कुमार श्रीवास्तव, हफीक सिंह पुत्र हीरा सिंह आदि
				योग			**0.0765**	
			(4) चन्दनी	315	निजी	कृषि	0.0741	शिशुपाल सिंह, जयपाल सिंह, राजेन्द्र सिंह, हरेन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह, गबर सिंह पुत्र गोविन्द सिंह आदि
				316	सरकारी	गैर–कृषि	0.0278	खाई।
				87	निजी	कृषि	0.0170	श्याम सिंह, शेर सिंह ना. वा. आयु 16 वर्ष पुत्र जय सिंह संरक्षक माता चंचल देवी पत्नि जय सिंह आदि
				81	निजी / सरकारी	कृषि / गैर–कृषि	0.0434	श्याम सिंह, शेर सिंह ना. वा. आयू 16 वर्ष पुत्र जय सिंह संरक्षक माता चंचल देवी पत्नि जय सिंह आदि
				81/327	निजी	कृषि	0.0038	झूपार सिंह पुत्र फुल सिंह आदि
				82	निजी	कृषि	0.0549	याम सिंह, शेर सिंह ना. वा. आयू 16 वर्ष पुत्र जय सिंह संरक्षक माता चंचल देवी पत्नि जय सिंह आदि
				80	निजी	कृषि	0.0093	त्रिलोक चन्द पुत्र चन्द्री चन्द, तुलसी देवी पत्नि गणेश चन्द, उत्तम चन्द, यतेन्द्र चन्द पुत्र गणेश चन्द
				योग			**0.2303**	

			(5) मनिहार–गोठ	9	निजी	कृषि	0.1054	आन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, विक्रम चन्द, सुरेन्द्र चन्द, पुष्कर चन्द पुत्र स्व. लक्ष्मी चन्द्र, क्षेत्र कुमार चन्द पुत्र स्व. खडक चन्द, सुनीता चन्द पत्नि स्व. संजीव चन्द, सलवीक चन्द ना. वा. आयू 7 वर्ष पुत्र संजीव चन्द संरक्षक माता सुनीता देवी, विजय चन्द पुत्र भूपेन्द्र चन्द, राजाराम आदि
				70	निजी	कृषि	0.0379	जगदीश चन्द्र, तारा दत्त, त्रिलोक चन्द्र पुत्र हरि दत्त, पार्वती देवी पत्नि हरि दत्त आदि
				71	निजी	कृषि	0.0102	जगदीश चन्द्र, तारा दत्त, त्रिलोक चन्द्र पुत्र हरि दत्त, पार्वती देवी पत्नि हरि दत्त आदि
				73	निजी	कृषि	0.0498	जगदीश चन्द्र, तारा दत्त, त्रिलोक चन्द्र पुत्र हरि दत्त, पार्वती देवी पत्नि हरि दत्त आदि
				योग			**0.2033**	
			(6) टनकपुर	22	निजी	कृषि	0.0090	किशन सिंह पुत्र दौलत सिंह आदि
				योग			**0.0090**	
				कुल योग			**0.7145**	

[फा. सं. भाराराप्रा/2013–एलए/पीआईयू–रूद्रपुर]

माया प्रकाश, निदशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2014

S.O. 2508 (E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3468 (E) dated 22.11.2013**,** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.-125 renamed as NH-9 (Malaut-Pithoragarh) on the stretch of land from km. 38.000 to km. 52.150 (Sitarganj-Tanakpur Section) in the district of Champawat in the State of Uttarakhand.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Amar Ujala" and "Times of India" both dated 05.12.2013; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from the any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 38.000 to Km. 52.150 of National Highway No.125 (Sitarganj-Tanakpur Section) (renamed as NH- 9) in Champawat District in the state of Uttarakhand.

Serial number	Name of district	Name of taluk	Name of village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in ha.)	Name of Land Owners / Interested Person
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1	Champawat	Purnagiri / Tanakpur	(1) Pachpakarian	48	Private	Agriculture	0.0740	The Good Shefard Agricultural Mission Bamanpuri, Dan Singh, Diwan Singh, Bhawan Singh S/o Piroj Singh etc.
				Total			**0.0740**	
			(2) Bamanpuri	52	Private	Agriculture	0.1214	The Good Shefard Agricultural Managing Director M.D. Stog etc.
				Total			**0.1214**	
			(3) Bhajanpura	103	Private	Agriculture	0.0765	Hakeem Singh S/o Hari Singh, Rupa Devi W/o Mahaveer Prasad, Smt. Trilok Chand S/o Pratap Chand, Basanti Devi W/o Ganesh Chand, Kirti Devi W/o Jagdish Kumar, Kalyan Chand S/o Daleep Chand, HArish Chand Soradi S/o Kalyan Chand, Devendra Patni, Dipendra Patni S/o Dev Singh Patni, Radha Devi W/o Bhupal Singh, Bahadur Singh Patni S/o Khem Singh, Sanjay Chhatpal S/o Amarjit Singh Chhatpal, Sushiram Mittal S/o Banwarilal, Renu Chhatwal W/o Sanjay Singh Chhatwal, Rekha Srivastva W/o Alok Kumar Srivastva, Hafeek Singh S/o Heera Singh etc.
				Total			**0.0765**	
			(4) Chandani	315	Private	Agriculture	0.0741	Shishupal Singh, Jaypal Singh, Rajendra Singh, Harendra Singh S/o Hari Singh, Gabar Singh S/o Govind Singh etc.
				316	Government	Non-Agriculture	0.0278	Khai
				87	Private	Agriculture	0.0170	Shyam Singh, Sher Singh minor age 16 year s/o Jay Singh guaudian mother Chanchala Devi W/o Jay Singh etc.
				81	Private / Government	Agriculture / Non-Agriculture	0.0434	Shyam Singh, Sher Singh minor age 16 year s/o Jay Singh guaudian mother Chanchala Devi W/o Jay Singh etc. / Abadi

				81/327	Private	Agriculture	0.0038	Jhupar Singh S/o Phool Singh etc.
				82	Private	Agriculture	0.0549	Shyam Singh, Sher Singh minor age 16 year s/o Jay Singh guaudian mother Chanchala Devi W/o Jay Singh etc.
				80	Private	Agriculture	0.0093	Trilok Chandra S/o chandri Chand, Tulsi Devi W/o Ganesh Chand, Uttam Chand, Yatendra Chand S/o Ganesh Chand etc.
				Total			**0.2303**	
			(5) Manihar Goth	9	Private	Agriculture	0.1054	Aan Singh S/o Laxman Singh, Vikram Chand, Surendra Chand, Pushkar Chand S/o Late Laxmi Chand, Kshetra Kumar Chand W/o Late Khadak Chand, Rajiv Chand S/o Late Khadak chand, Sunita Chand W/o Late Sanjeev Chand, Salvik Chand minor age 7 year S/o Late Sanjeev Chand guardian mother Sunita Chand, Vijay Chand S/o Bhupendra Chand, Rajaram etc.
				70	Private	Agriculture	0.0379	Jagdish Chandra, Tara Dutt, Trilok Chandra S/o Hari Dutt, Parwati Devi W/o Hari Dutt, etc.
				71	Private	Agriculture	0.0102	Jagdish Chandra, Tara Dutt, Trilok Chandra S/o Hari Dutt etc.
				73	Private	Agriculture	0.0498	Jagdish Chandra, Tara Dutt, Trilok Chandra S/o Hari Dutt etc.
				Total			**0.2033**	
			(6) Tanakpur	22	Private	Agriculture	0.0090	Kishan Singh S/o Daulat Singh etc.
				Total			**0.0090**	
				Grand Total			**0.7145**	

[F. No.NHAI/2013-LA/PIU-Rudrapur]

MAYA PRAKASH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054